RESTORATION OF MONARCHY
राजतन्त्र की पुनर्स्थापना

Quest. - राजतन्त्र की पुनः स्थापना के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। (Nature and Significance of Restoration of Monarchy.)

Ans. - 1660 ई० की राजतन्त्र की पुनर्स्थापना इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके फलस्वरूप राजतन्त्र, संसद एवं चर्च के स्वरूप तथा अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पुनः स्थापना एक प्रकार से संवैधानिक शासन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। यद्यपि राजा उस समय तक पूर्णतया संवैधानिक राजा नहीं बना था। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इंग्लैंड का शासन निश्चित रूप से कानूनों पर आधारित हो गया था जिससे धीरे-धीरे इंग्लैंड में पूर्ण संवैधानिक शासन स्थापित हो गया। शासन की सम्पूर्ण शक्ति धीरे-धीरे संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों चली गई। इंग्लैंड में अब दैवी अधिकार सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले शासक के लिए कोई स्थान नहीं था।

चार्ल्स द्वितीय की घोषणा और लन्दन प्रवेश के साथ ही कॉमनवेल्थ (Common Wealth) सरकार का अन्त हो गया और राजतंत्र की पुनःस्थापना की गई। गृह-युद्धों और सैनिक शासन से त्रस्त जनता द्वारा चार्ल्स द्वितीय का स्वागत स्वाभाविक था। विधान तथा सिद्धान्त की दृष्टि से राजतन्त्र के अधिकार व्यापक थे। राजा को कोई विशेष शर्त या लिखित विधान स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। प्रशासकीय एवं धार्मिक नियुक्तियाँ पुनः राजा के संरक्षण में आ गई। थल सेना और जल सेना पर राजा का पूरा अधिकार हो गया। युद्ध और शान्ति

की घोषणा तथा विदेश नीति पुनः राजा के हाथों में आ गई। राजा मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता था। तथा संसद के प्रस्तावों को ठुकरा सकता था, उसे संसद को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने का पूर्ण अधिकार मिल गया था। परन्तु व्यवहार में राजा के बहुत सारे अधिकार संसद के अधिकारों द्वारा सिमित कर दिये गये थे।

सैद्धान्तिक रूप से 1660 ई० में राजा ने अपने अधिकार पुनः स्थापित कर लिए किन्तु व्यवहार में उसकी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। 1660 ई० का राजतन्त्र एलिजाबेथ के राजतन्त्र से भिन्न था। इस पुनः स्थापित राजतन्त्र की शक्ति सीमित थी। वह स्वेच्छाचारी राजतन्त्र नहीं था। जब राजा के जीवन की सुरक्षा और उसके विरुद्ध षड्यन्त्रकारियों को दण्ड देने के लिए कानून बनाया गया था तब संसद ने निरंकुश राजा के सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया था बल्कि एक ऐसे राजा के सुरक्षा का प्रबन्ध किया था जिसके अधिकार काफी सिमित हो गये थे। राजा के विशेषाधिकारों का स्त्रोत सशस्त्र सेना नहीं, बल्कि परम्परा और कानून था। चार्ल्स प्रथम ने राजधानी छोड़ने के पहले जिन अधिनियमों को स्वीकृति दी थी वे सभी वैध घोषित किए गये। कानूनी रूप से शासन करने और धन एकत्रित करने में संसद की सहायता के बिना जिन तरीकों से राजा अपने परमाधिकार को लागू कर सकता था वे सभी समाप्त कर दिए गये। परमाधिकार न्यायालयों, जैसे- स्तार चेम्बर, Council of the North एवं हाई कमीशन कोर्ट का पुनर्गठन नहीं हुआ। असंसदीय कर: जैसे जहाज कर एवं अन्य अनिवार्य कर अवैध घोषित कर दिये गये।

प्रिवी कौन्सिल और विशेष प्रकार के न्यायालयों के फौजदारी अधिकार समाप्त हो गये। अब राजा बिना कारण बताए संसद सदस्यों को बन्दी नहीं बना सकता था। पैतृक राजस्व तथा संसद स्वीकृत धन के अतिरिक्त राजा को धन एकत्रित करने का कोई अधिकार नहीं था। कर एवं कानून के सम्बन्ध में संसद सर्वोपरि बन गई थी। चार्ल्स II को कॉमन सभा के विरोध के सामने झुकना पड़ा था।

उसे 1672 ई में धार्मिक अनुग्रह की घोषणा को रद्द करना पड़ा। उसे 1673 ई में संसद द्वारा पारित परीक्षा अधिनियम को मान्यता देनी पड़ी। वह स्थायी सेना भी नहीं रख सकता था। इसके साथ ही चार्ल्स प्रथम की प्राणदण्ड का उदाहरण भावी राजतन्त्र की स्वेच्छाचारिता पर सबसे बड़ा अंकुश था। इस प्रकार पुनः स्थापना के बाद राजतन्त्र की स्थिति पहले से ज्यादा बदल गई थी।

वास्तव में पुनःस्थापना सभी प्रकार के प्रतिगामक एवम स्वेच्छाचारी शासन का निषेध था। एक प्रकार के साधारण संवैधानिक आचरण की ओर झुकाव था, यह कानून के शासन के लिए मोड़ था। पुनः स्थापना के बाद राजतन्त्र होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं था। शासन का स्वरूप राजतन्त्रात्मक इसलिए था कि इंग्लैंड में शासन का प्रधान एक राजा को बनाया गया था। जिसे फ्रांस के राजदूत ने लिखा था "This Government has a monarchial appearance because there is a King but at bottom it is very far from being a monarch."

इस प्रकार 1660 ई में विशेषाधिकारों पर आधारित

स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर दिया गया था। संविधान में केवल वैसे कानूनों का प्रावधान था जो राजा के विशेषाधिकारों को सीमित करते थे। उद्घोषणा के द्वारा कानून बनाने की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इस प्रकार, राजा अब स्वेच्छा से शासन का संचालन नहीं कर सकता था और न ही कर लगा सकता था। प्रशासन के क्षेत्र में राजा अब संसद, Court of Justice एवं स्वायत्त शासन के अन्य दूसरे अंगों की अवहेलना नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब राजकीय अंकुश से स्वतन्त्र थे। आर्थिक सहायता एवं संसद की सहमति के अभाव में चार्ल्स II कभी भी अपने पूर्वजों की भाँति निरंकुश ढंग से शासन करने का प्रयास नहीं किया और इसलिए इंग्लैंड में पुरानी पद्धति के आधार पर द्वितीय स्टुअर्ट निरंकुश तन्त्र की स्थापना हो सकी।

उपर्युक्त विश्लेषणों से स्पष्ट हो जाता है कि पुनःस्थापना के बाद राजा की शक्ति काफी सीमित हो गई थी। फिर भी यह कहना गलत होगा कि पुनःस्थापना के बाद राजा पूर्णतः शक्तिहीन हो चुका था और नाम मात्र का प्रधान रह गया था, पर अभी भी राजा के बहुत से अधिकार थे। संसद भी अपनी वैधता एवम अस्तित्व के लिए राजा की इच्छा पर निर्भर थी। 1664 ई का त्रैवार्षिक कानून से संसद की अवधि को राजा की इच्छा का विषय बना दिया था। संगीन मामलों में राजा को अभी भी क्षमा देने का विशेषाधिकार प्राप्त था। इस प्रकार अभी भी सम्राट में निहित विस्तृत विशेषाधिकार एवं शक्तियाँ संविधान में सर्वोच्चता के परिचायक थे। केवल संसद को खुश करने के लिए समय-समय पर उसकी सहमति की आवश्यकता थी।